

(12)

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- 1.क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

—सुरकण्डा नामे तोक में विद्युतीकरण हेतु

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

— संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।— 11.72 लाख

घ) इन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। — विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईन का निर्माण।

ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए) मैप। — संलग्न है।

च) संयोजक जिनके पैदा होने की संभावना है। — संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:—2000 × 2.50 मीटर

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
क) परिवारों की संख्या — कोई नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या — कोई नहीं।

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) — कोई नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)— हां

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)—संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। —संलग्न है।

दिनांक 27-7-13

स्थान NEW TEHR


प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम AMIT KUMAR
मोहस
अधिरासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

प्रस्ताव की कम संख्या.....
(प्रति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)